



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272650
CG-DL-E-18052026-272650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2410]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

का.आ. 2502(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में NH-163G के कि.मी. 289.933 से कि.मी. 291.933 (एनटीआर जिला) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर, एनटीआर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई

हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में NH-163G के कि.मी. 289.933 से कि.मी. 291.933 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एनटीआर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गमपालगुडेम					
गांव का नाम: तूनीकिपादु					
1	309/10	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	485.62 (वर्ग मीटर)	0.048562
2	309/13	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	161.87 (वर्ग मीटर)	0.016187
3	309/6	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2023.43 (वर्ग मीटर)	0.202343
4	309/7	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	3156.55 (वर्ग मीटर)	0.315655
5	309/8	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	809.37 (वर्ग मीटर)	0.080937
6	309/9	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2670.93 (वर्ग मीटर)	0.267093
7	315/14	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	242.81 (वर्ग मीटर)	0.024281
8	315/15	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1982.96 (वर्ग मीटर)	0.198296
9	315/16	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1416.1 (वर्ग मीटर)	0.14161
10	315/17	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	161.87 (वर्ग मीटर)	0.016187
11	315/7	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1780.62 (वर्ग मीटर)	0.178062
12	315/8	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	2225.77 (वर्ग मीटर)	0.222577

13	315/9	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1942.49 (वर्ग मीटर)	0.194249
14	318/10	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	687.97 (वर्ग मीटर)	0.068797
15	318/11	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	890.31 (वर्ग मीटर)	0.089031
16	318/9	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	202.3 (वर्ग मीटर)	0.02023
17	319/1	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	20.23 (वर्ग मीटर)	0.002023
18	319/14	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	849.84 (वर्ग मीटर)	0.084984
19	319/19	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	161.88 (वर्ग मीटर)	0.016188
20	319/2	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1132.88 (वर्ग मीटर)	0.113288
21	319/20	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	404.7 (वर्ग मीटर)	0.04047
22	319/21	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	687.99 (वर्ग मीटर)	0.068799
23	319/22	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	849.87 (वर्ग मीटर)	0.084987
24	319/23	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1902.02 (वर्ग मीटर)	0.190202
25	319/24	सरकारी	एग्रीकल्चर (गोव्त)	890.31 (वर्ग मीटर)	0.089031
26	319/3	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1052.18 (वर्ग मीटर)	0.105218
27	319/4	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	1011.72 (वर्ग मीटर)	0.101172
28	319/5	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	971.04 (वर्ग मीटर)	0.097104
29	319/6	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	607.03 (वर्ग मीटर)	0.060703
30	319/7	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	323.76 (वर्ग मीटर)	0.032376
31	319/8	सामान्य	एग्रीकल्चर (एसाइन्ड लैंड)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
Total					3.178736

[फा. सं. NHA/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2026

S.O. 2502(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-163G in the stretch of land from Km. 289.933 to Km. 291.933 (NTR District) in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, NTR in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163G in the stretch of land from Km. 289.933 to Km. 291.933 (NTR District) in the district of NTR in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: NTR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gampalagudem					
Village: Tunikipadu.					
1	309/10	Common	Agriculture (Assigned Land)	485.62 (Square Meter)	0.048562
2	309/13	Common	Agriculture (Assigned Land)	161.87 (Square Meter)	0.016187
3	309/6	Common	Agriculture (Assigned Land)	2023.43 (Square Meter)	0.202343

4	309/7	Common	Agriculture (Assigned Land)	3156.55 (Square Meter)	0.315655
5	309/8	Common	Agriculture (Assigned Land)	809.37 (Square Meter)	0.080937
6	309/9	Common	Agriculture (Assigned Land)	2670.93 (Square Meter)	0.267093
7	315/14	Common	Agriculture (Assigned Land)	242.81 (Square Meter)	0.024281
8	315/15	Common	Agriculture (Assigned Land)	1982.96 (Square Meter)	0.198296
9	315/16	Common	Agriculture (Assigned Land)	1416.1 (Square Meter)	0.14161
10	315/17	Government	Agriculture (govt)	161.87 (Square Meter)	0.016187
11	315/7	Common	Agriculture (Assigned Land)	1780.62 (Square Meter)	0.178062
12	315/8	Common	Agriculture (Assigned Land)	2225.77 (Square Meter)	0.222577
13	315/9	Common	Agriculture (Assigned Land)	1942.49 (Square Meter)	0.194249
14	318/10	Common	Agriculture (Assigned Land)	687.97 (Square Meter)	0.068797
15	318/11	Common	Agriculture (Assigned Land)	890.31 (Square Meter)	0.089031
16	318/9	Common	Agriculture (Assigned Land)	202.3 (Square Meter)	0.02023
17	319/1	Government	Agriculture (govt)	20.23 (Square Meter)	0.002023
18	319/14	Government	Agriculture (govt)	849.84 (Square Meter)	0.084984
19	319/19	Common	Agriculture (Assigned Land)	161.88 (Square Meter)	0.016188
20	319/2	Common	Agriculture (Assigned Land)	1132.88 (Square Meter)	0.113288
21	319/20	Common	Agriculture (Assigned Land)	404.7 (Square Meter)	0.04047
22	319/21	Common	Agriculture (Assigned Land)	687.99 (Square Meter)	0.068799
23	319/22	Common	Agriculture (Assigned Land)	849.87 (Square Meter)	0.084987
24	319/23	Common	Agriculture (Assigned Land)	1902.02 (Square Meter)	0.190202
25	319/24	Government	Agriculture (govt)	890.31 (Square Meter)	0.089031

26	319/3	Common	Agriculture (Assigned Land)	1052.18 (Square Meter)	0.105218
27	319/4	Common	Agriculture (Assigned Land)	1011.72 (Square Meter)	0.101172
28	319/5	Common	Agriculture (Assigned Land)	971.04 (Square Meter)	0.097104
29	319/6	Common	Agriculture (Assigned Land)	607.03 (Square Meter)	0.060703
30	319/7	Common	Agriculture (Assigned Land)	323.76 (Square Meter)	0.032376
31	319/8	Common	Agriculture (Assigned Land)	80.94 (Square Meter)	0.008094
Total					3.178736

[F. No. NHA/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director